

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/अ0अन्त0/ /2023:: लखनऊ::दिनांक:जनवरी 19, 2023

--:आदेश:--

सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2, गाजियाबाद के पत्रांक-269/2022 दिनांक 22.12.2022 द्वारा प्राप्त 50 एक सदस्यीय अनिस्तारित अपीलों की सूची पर सम्यक विचारोपरान्त वैट एक्ट की धारा-57(12)(ई)(ii) के अर्न्तगत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2 गाजियाबाद से संलग्न सूची(दो पन्नों में) के अनुसार कुल 50 लम्बित एक सदस्यीय द्वितीय अपीलों को पीठ-1, गाजियाबाद को नियमानुसार निस्तारण हेतु अंतरित किया जाता है।

| क्रम सं० | पीठ का नाम जहाँ से अपीलों को अंतरित किया जाना है | पीठ का नाम जिनको अपीलों को अंतरित किया गया है | अपीलों की सूची |
|----------|--|---|---|
| 1. | सदस्य पीठ-2, गाजियाबाद | सदस्य, पीठ-1, गाजियाबाद | संलग्न सूची(दो पन्नों में) के अनुसार 50 द्वितीय अपीलों। |

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

ह0/19.01.2023

(अरविन्द मलिक)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/अ0अन्त0/1930/2023, दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1, गाजियाबाद।(मय सूची)
- 2-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, गाजियाबाद। (मय सूची)
- 3-असि0 कमि0/रा0प्रति0 1 व 2, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
- 4-आदेश की अनुरक्षण पत्रावली हेतु।(मय सूची)
- 5-वेब अधिकारी मुख्यालय।(मय सूची)

आज्ञा से,

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

